विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि (विधायक निधि)

- यह योजना वर्ष 1998–99 से लागू की गई है।
- विधान मण्डल के दोनों सदनों के मा0 सदस्यों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में स्थानीय अनुभूति स्थायी आवश्यकताओं की पूर्ति तथा संतुलित विकास हेतु संचालित है।
- विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत मा0 सदस्य को अपने विधान सभा/निर्वाचन क्षेत्रों में विकास संबंधी कार्यो हेतु प्रति वर्ष रू0 150.00 लाख की धनराशि दिये जाने का प्राविधान है।
- प्राकृतिक आपदा, अग्निकाण्ड, दुर्घटना एवं असाध्य रोगों से पीड़ित व्यक्तियों के उपचार हेतु विधान मण्डल के प्रत्येक मा0 सदस्य द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में रू0 25.00 लाख की सीमा तक सहायता किये जाने का प्राविधान किया गया है।
- इसके अतिरिक्त निधि से ग्रामीण एवं अन्य क्षेत्रों की कठिनाइयों के दृष्टिगत फायर विग्रेड गाड़ियों एवं अन्य उपकरणों का कय किये जाने का भी प्राविधान किया गया है।
- इस निधि के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों पर कार्यदायी संस्थाओं को सेन्टेज चार्ज नहीं दिया जाता है ।
- सामान्तः विधायक निधि से निम्नलिखित कार्य कराए जाते हैं :–
    - विधायक निधि से विद्यालयों, छात्रावासों, पुस्तकालयां के लिये भवनों और शिक्षण संस्था के अन्य भवनों का निर्माण।
    - गांवों, कस्बों अथवा नगरों में लोगों को पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु नलकूपों और पानी की टंकियों का निर्माण।
    - सड़क का निर्माण।
    - वृद्धों अथवा विकलांगों के लिये सामान्य आश्रय गृहों का निर्माण।
    - सार्वजनिक पुस्तकालय एवं वाचनालय
    - नालों और गटर
    - बारात घर, चौपाल/रैन बसेरे का निर्माण कराया जाना।
    - सामुदायिक उपयोग एवं सम्बद्ध गतिविधियों के लिये गैर परम्परागत ऊर्जा प्रणाली/साधन उपयोगों का निर्माण।
    - राजकीय तथा मान्यता एवं अनुदान प्राप्त हाईस्कूल एवं इण्टर कालेजों में कम्प्यूटर का क्रय।
    - पैदल पथ, पंगडंडियों और पैदल पुल का निर्माण।
    - विधायकों हेतु लैपटाप क्रय आदि।
- अनुश्रवण–योजना की प्रगति का आनलाइन अनुश्रवण विभाग की वेबसाइट–rd.up.nic.in के माध्यम से किया जाता है ।

.....